69

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

राजस्व निगरानी प्र.क.– /2016 निग 2319– I/16

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 14/7/16 को प्रस्तुत

14-7-16 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

सरजू, रामदयाल, हल्लू तनय उदईयां निवासी ग्राम उमरी तहसील बडागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....निगराकारगण

बनाम

1. सोबरन तनय हिरूआ काछी
2. बृजलाल तनय चऊदा काछी
3. बाले तनय धनुआ काछी सभी निवासी ग्राम उमरी तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रति निगराकार

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ 13/7/16

निगरानी अंतर्गत धारा– 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अपील प्रकरण कमांक 44अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है

महोदय

निगराकारगण की ओर विनय निम्न प्रकार है :–

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम उमरी तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ खसरा नं. 1184, 1185, 1186, 115, 116 निगराकारगण के स्वामित्व की भूमि है, जिसे बरसों से पैतृक उत्तराधिकार प्राप्त है और उसी आधार पर यह भूमि निगराकारगणों को प्राप्त हुई थी।

2. यह कि वर्ष 2015 के दौरान प्रति निगराकारगण द्वारा तहसील बड़ागांव के समक्ष

R 2319-I/16 ग्वालियर

| | |
|---|---|
| 21.12.17 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वे इस निगरानी प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लेना चाहते हैं। अनावेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी आवेदन उन्हें वापस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।<br><br>प्रशासकीय सदस्य |

Notice 21/12

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.